संख्या-03/2020/123/46-1-20-1000(05)/2019

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 12 फरवरी, 2020

विषय- श्री लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2019-20 में (गैर वेतन) मदों हेतु प्राविधानित धनराशि रू.217.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू.101.18 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, लखनऊ के पत्र संख्या-110/लेखा-बजट(चीनी), दिनांक 17-01-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू. 217.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृति धनराशि रू.108.50 के पश्चात अवशेष धनराशि रू.108.50 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में संलग्नक में दिये विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू.101.18 लाख **(रूपये एक करोड़ एक लाख अट्ठारह हजार मात्र) आहरित करने एवं निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231 /2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य व्यय/ मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही राजकोष से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

(5) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(6) आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता तथा कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। निदेशक तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना/आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-**"2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0304-लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान,** उ.प्र., लखनऊ को सहायता-**20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-102/दस-2020, दिनांक 07 फरवरी, 2020 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-03/2020/123(1)/46-1-20-1000(05)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वितत्त (बजट) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-03/2020/123(2)/46-1-20-1000(05)/2019, दिनांक 12 फरवरी, 2020 का संलग्नक

क्र.	मद विवरण	कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मद/कार्यवार फॉट (रू. लाख)	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि (रू. लाख)	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि(रू. लाख)
1	2	3	4	5
	क-सामान्य (गैर वेतन)			
1	प्रवक्ताओं को पारिश्रमिक	10.50	5.25	5.25
2	अतिथि/कृषक/कर्मचारी जलपान	6.33	3.16	3.17
3	विचार गोष्ठी किसान मेला	0.60	0.30	0.30
4	अन्त: प्रदेशीय अध्ययन यात्रा	5.50	2.75	2.75
5	अन्तर प्रदेशीय अध्ययन यात्रा	7.50	3.75	3.75
6	पम्पलेट मैगजीन प्रकाशन	2.00	1.00	1.00
7	चार्ट होल्डिंग्स	1.26	0.63	0.63
8	प्रचार यंत्र जनरेटर	1.50	0.75	0.75
9	फर्नीचर का रख-रखाव	1.80	0.90	0.90
10	पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय	0.55	0.27	0.28
11	पुस्तकों की बाइडिंग	0.25	0.12	0.13
12	जीप कार पर व्यय	15.00	7.50	4.50
13	डाक तार पर व्यय	0.495	0.25	0.245
14	स्टेशनरी पर व्यय	5.50	2.75	0.75
15	बिजली बिलों का भुगतान	40.00	20.00	20.00
16	बिजली ध्वनि उपस्कर	3.95	1.98	1.97
17	भवन रख-रखाव	3.85	1.92	1.93
18	ट्यूबबेल रख-रखाव	2.30	1.15	0.75
19	भवन कर एवं किराया	40.00	20.00	20.00
20	उद्यान रख-रखाव	3.50	1.75	1.00
21	कर्मचारी वर्दी	0.40	0.20	0.20
22	फोटो कापियर/कम्प्यूटर रख-रखाव	2.12	1.06	1.06
23	टेलीफोन पर व्यय	2.57	1.29	1.28
24	कृषक स्टेशनरी	10.50	5.25	5.25

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

25	विविध व्यय	6.60	3.30	3.30
26	वातानुकूलन का रख-रखाव	5.50	2.75	2.75
27	सम्परीक्षा शुल्क	2.00	1.00	0.00
28	अग्निशमन यंत्र	0.20	0.10	0.00
29	श्रोतृशाला बीमा	0.075	0.04	0.035
30	कानूनी व्यय	0.70	0.35	0.35
31	विज्ञापन व्यय	0.15	0.08	0.00
32	भवन किराया गोरखपुर	1.80	0.90	0.90
33	लिफ्ट एवं फायर फाइटिंक सिस्टम वार्षिक रख रखाव	8.00	4.00	4.00
34	होमगार्ड मानदेय	24.00	12.00	12.00
	योग-	**217.00**	**108.50**	**101.18**

(रूपये एक करोड़ एक लाख अट्ठारह हजार मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है